2017/00394

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान ठाकुरजी महाराज रघुनाथजी बनाम परमानन्द

किस्म मुकदमा धारा-224 अकील संख्या 161/2017

अभिभाषक अपीलान्ट जगदीश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.8.24	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं उनके अभिभाषक को रूक-रूक कर तीन बार आवाजें लगवायी गयी। फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। कोर्ट विसर्जित होने तक इंतजार किया गया। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुदा होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... कोटा

4/10/2001

1Re. 25P COURT FEE भारत INDIA १ रुपया २५ पैसे 1 RUPEE 25 PAISE

13

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कम-भू-प्रबंधक अधिकारी

{कोटा-बांरा-झालावाड}

==

ठाकुर जी महाराज श्री रघुनाथ जी विराजमान मंदिर श्री रघुनाथ जी ग्राम अन्ता ता.स्वत नाबालिग द्वारा संरक्षक एवम् व्यवस्थापक अध्यक्ष ट्रस्ट मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज अन्ता कार्यालय खण्डेलवाल धर्मशाला अन्ता तहसील अन्ता जिला बांरा

.. अपीलांट

- बनाम-

1. परमानंद } पुत्रगण श्री भांवरलाल जाति वैष्णव निवासी
2. राजू } कन्या स्कूल के पास अन्ता तह. अन्ता जिला -
3. सत्यनारायण } बांरा
4. रामकन्या बाई बेवा भांवरलाल जाति वैष्णव
5. गीता बाई पत्नीछीतरलाल वैष्णव
6. छीतरलाल आत्मज भौरूलाल वैष्णव
7. छोटूलाल आत्मज बद्रीलाल वैष्णव

निवासीगण अन्ता, जिला बांरा राज. ..रेस्पो.

श्री जगदीश खण्डेलवाल एड्वो. ने पेश की श्रीमान् P.O. साहब के समक्ष पेश हो। 29-8-2001

अपील विरुद्ध आदेश सम्मानीय सहायक कलेक्टर अन्ता दि. 2.8.2001 को अप्रसन्नता से राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 225 के अन्तर्गत

मान्यवर,

अपीलांट निम्न कारणो से अपील प्रस्तुत करते है:-

1. यह कि योग्य अधी. न्यायालय का आदेश विधि, न्याय एवं उचिता में सिद्ध प्राप्त तथ्यो के विपरित होने से - निरस्तनीय है।

2. यह कि योग्य अधी. न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अपी. प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक रूप से स्वीकार करने में त्रुटि की है।

3. यह कि योग्य अधी. न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर यह पूरी तौर से साक्ष्य, शपथ-पत्र, कमिश्नर रिपोर्ट आदि से -

2